

राजस्थान सरकार  
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

क्रमांक प.10(3)नवि/3/1980 प्रार्ट-॥

जयपुर, दिनांक:- 28 JUN 2023

अधिसूचना

विभागीय समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 04.08.2014 के क्रम में राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 की धारा 7 के अन्तर्गत अनुमोदित कैथून मास्टर प्लान-2023 की समयावधि क्षितिज वर्ष 2023 को समाप्त हो रही है, की एतद्वारा वर्ष-2031 तक के लिए बढ़ाया जाता है।

यह मास्टर प्लान इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 04.09.2013 के द्वारा अधिसूचित "कैथून नगरीय क्षेत्र" के लिए लागू रहेगा।

राज्यपाल की आज्ञा सं,

(संजिता बिरनोई)

संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, राजस्व विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
5. जिला कलेक्टर, कोटा।
6. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
7. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, कैथून।
8. विशिष्ट उप शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग को अधिसूचना राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक दिनांक 28.06.2023 में प्रकाशन हेतु ऑनलाईन भिजवाये जाने एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
9. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय